



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. (0291-2612086/265633-7 Fax: 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/2142

दिनांक: 29/03/2022

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 23.03.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (26.11.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 09.02.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जोन पूर्व

एजेण्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	डांगियावास	105/1	04.08.08 बीघा	नॉन पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री सुगनाराम पुत्र श्री जवानाराम				
विषय:-	नॉन पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रहीं प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। 2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें। 3. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय				

	में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
	6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	झालामण्ड	767 / 1	07.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बिरमाराम पुत्र श्री रावतराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 				

एजेण्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	नान्दडा खुर्द	118 / 2 (नया खसरा संख्या 118 / 3)	04.12.00 बीघा में से 03.07.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री राजुराम पुत्र श्री घेवरराम एवं श्री सुनिल भाटी पुत्र श्री फुसाराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 9 मीटर भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 				



4.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6.	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेन्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	बासनी निकूबा	25/04 नया खसरा संख्या 25/10	08.06.00 बीघा में से 01.17.11 बीघा	फार्म हाउस
आवेदक	श्री झुमरराम पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेन्डा संख्या 06

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	बासनी निकूबा	25/04 नया खसरा संख्या 25/11	08.06.00 बीघा में से 02.14.19 बीघा	फार्म हाउस
आवेदक	श्री झुमरराम पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				



निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाएं। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
----------	---

एजेण्डा संख्या 07

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	बनाड	559, 559/2	08.09.12 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	असगर खां पुत्र जमाल खां, श्री जुंझारसिंह राठौड़ पुत्र श्री उम्मेदसिंह, श्री दलजीतसिंह राठौड़ पुत्र श्री जुंझारसिंह राठौड़, श्री कासम खां पुत्र श्री मिसरू खां				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है। अतः सडक मध्य से 9 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जाएं। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जाएं। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाएं। 				



एजेण्डा संख्या 08

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	नान्दडा कंला	275/2, 275/9	02.07.06 बीघा	वाणिज्यिक एकल
आवेदक	श्री मुकेश सिंघवी पुत्र श्री उम्मेदमल सिंघवी				
विषय:-	वाणिज्यिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 48 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 24 मीटर भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 09

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	विनायकिया	74	02.03.18 बीघा (4247.43 वर्गगज)	आवासीय योजना
आवेदक	श्री जगदीश राव पुत्र श्री भंवरलाल				
विषय:-	आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ उपविभाजन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित मुख्य सड़क के भूखण्डों को सेटबैक के परिपेक्ष्य में संशोधित किया जावें एवम् मानचित्र में अंकित सड़क को निरन्तर किया जावें अथवा cul-de-sec प्रस्तावित किया जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. आवेदित भूमि एयरफोर्स कलर कोडेड जोनिंग मैप अनुसार रेड जोन में स्थित है अतः भूखण्डों पर निर्माण से पूर्व नियमानुसार एयरफोर्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई 				



	<p>विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>6. प्रकरण में सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर उपविभाजन शुल्क वसूल किया जावे। मूल भूखण्ड का पट्टा विलेख समर्पित करवा कर उपविभाजन प्लान अनुसार पृथक-पृथक भूखण्ड के पट्टे जारी किये जावे। भूखण्डों पर भवन निर्माण से पूर्व एयरफोर्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त अंकित की जावे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <p>8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</p>
--	---

एजेन्डा संख्या 10

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	नान्दडा कला	275/6, 275/8	01.10.00 बीघा	वाणिज्यिक एकल
आवेदक	श्री मुकेश सिंघवी पुत्र श्री उम्मेदमल सिंघवी				
विषय:-	वाणिज्यिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 48 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 24 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेन्डा संख्या 11

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	कांकेलाव	1056/2	02.17.00 बीघा	फार्म हाउस
आवेदक	श्री जगदीश पुत्र श्री हरिराम				
विषय:-	फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग व उसके पीछे स्थित राजस्व रास्तों का मार्गाधिकार 60 फीट राज्य उच्च मार्ग संख्या 58 के उत्तर दिशा में प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 				



<p>10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार सडक मार्गाधिकार निर्धारण हेतु आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। उक्तानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।</p> <p>2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेप्टी कोरिडोर छोड़ा जावें।</p> <p>3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</p> <p>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <p>6. मास्टर प्लान में प्रस्तावित सर्किल में आने वाली भूमि भी प्रार्थी से समर्पित करायी जावें।</p>
--

एजेण्डा संख्या 12

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	झालामण्ड	209/4, 209/5	06.12.18 बीघा	वाणिज्यिक एकल
आवेदक	श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री किशनलाल, श्री गोविन्दराम पुत्र श्री किशनचन्द सिन्धी एवं श्री नरेन्द्र जनवानी पुत्र श्री गोविन्द सिन्धी				
विषय:-	वाणिज्यिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें।</p> <p>2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार सडक मार्गाधिकार निर्धारण हेतु आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। उक्तानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।</p>				



3.	आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 48 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 24 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें।
4.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 13

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	सोढेर की ढाणी	120, 120/4	02.19.18 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	श्री हंसाराम पुत्र श्री दुकाराम, श्री अशोक मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा				
विषय:-	आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की पूर्व कमिटमेंट अनुसार 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 50 फीट में आ रही प्रार्थी की भूमि में निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। जोनल डवलपमेंट प्लान में उक्त सड़क 18 मीटर अंकित है जिसे संशोधन कर 30 मीटर करने की कार्यवाही की जावें।				
	2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।				
	3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।				
	4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 14

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	बासनी बैदा	71/3, 71/4	10.00.00 बीघा	वेयर हाउस एकल
आवेदक	श्री नरेन्द्र जनवानी पुत्र श्री गोविन्द जनवानी, श्रीमती कवितादेवी / श्री भावनदास सिंधी, श्री तुलसीदास पुत्र श्री किशनचन्द, श्रीमती लीलादेवी पत्नी श्री किशनचन्द				
विषय:-	वेयर हाउस एकल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				



निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
----------	--

एजेण्डा संख्या 15

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	झालामण्ड	398 (90/क उपरान्त 398/16)	03.15.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती संतोष पत्नी श्री ओगडराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 				

एजेण्डा संख्या 16

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
-------------	-----	--------------	-------------	------	---------



23.03.2022	पूर्व	नान्दडा कलां	119/4	15.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री चुन्नीलाल				
विषय:-	फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि उपलब्ध पहुंच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार सड़क मार्गाधिकार निर्धारण हेतु आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। उक्तानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार 60 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें। 2. ले-आउट प्लान में जोजरी नदी की स्थिति का प्रमाणीकरण जोन से प्राप्त कर जोनल डवलपमेंट के प्रस्ताव अनुसार जोजरी नदी की राजस्व सीमा से 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी एवम् 18 मीटर सड़क को मानचित्र में दर्शाया जावें। 3. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेप्टी कोरिडोर छोड़ा जावें। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 17

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	उचियारडा	69/4, 67/5	02.11.13 बीघा	शैक्षणिक एकल
आवेदक	श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री फुसाराम, श्रीमती सरोज पत्नी श्री लक्ष्मीचन्द, श्री हनुमानराम पुत्र श्री दीपाराम, श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री हनुमानराम श्री राधेश्याम पुत्र श्री सांवलराम				
विषय:-	शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 48 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 24 मीटर भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ हेतु पट्टा जारी किये जाने पर जोन स्तर से पट्टे में यह शर्त अंकित की जावें कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि 				



	<p>स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित सस्त्रान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित किया जावे।</p> <p>3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	---

एजेन्डा संख्या 18

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	उचियारडा	69/1	02.15.00 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	एच.जी इन्फ्रा इंजिनियरिंग प्रा.लि डायरेक्टर श्री होडलसिंह पुत्र श्री गिरिराज सिंह				
विषय:-	आवासीय एकल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 48 मीटर है। अतः सडक मध्य से 24 मीटर भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेन्डा संख्या 19

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	झालामण्ड	395/20, 395/21, 395/13, 395/10, 395/22	11.03.03 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री छोटूसिंह, श्रीमती पुष्पा सांखला पुत्री श्री जयराम, श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरीसिंह, श्री लूणेशसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन की जावे। 				



2.	नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6.	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेन्डा संख्या 20

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	झालामण्ड	17/2	00-18-5.5 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	श्रीमती ओमादेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश				
विषय:-	आवासीय एकल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन की जावें।				
	2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।				
	3. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में राजस्व न्यायालय में वाद लम्बित है अतः उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।				
	4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।				
	5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				
	6. आवेदित भूमि भारतीय वायुसेना के कलर कोडेड जोनिंग मेप अनुसार रेड जोन श्रेणी में अवस्थित है अतः निर्माण स्वीकृति/भवन मानचित्र अनुमोदन से पूर्व वायुसेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।				

एजेन्डा संख्या 21

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	झालामण्ड	468/6	03.03.00 बीघा	होटल एकल



आवेदक	श्री गोरधनसिंह पुत्र श्री चुन्नीलाल
विषय:-	होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. ले-आउट प्लान पर जोजरी नदी की राजस्व सीमा का अंकन जोन से प्राप्त कर जोनल डवलपमेंट के प्रस्ताव अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी एवम् उसके पश्चात् 18 मीटर सड़क को मानचित्र में दर्शाया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 22

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	झालामण्ड	392 व 392/3	07.05.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री मदनलाल पुत्र श्री मिश्रिलाल एवं श्रीमती सुशीला पत्नी श्री मदनलाल				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 15 मीटर में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 				



एजेण्डा संख्या 23

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	कांकेलाव	1295	11.02.00 बीघा में से 01.15.00 बीघा	पेट्रोल पम्प
आवेदक	श्री गोविन्दराम पुत्र श्री केहराराम				
विषय:-	पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावें। एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 2. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। 3. आवेदक को राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PESO व अन्य संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जानी होगी। 4. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 24

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	उचियारडा	42	13.00.00 बीघा में से 01.14.07 बीघा	पेट्रोल पम्प
आवेदक	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री अचलसिंह				
विषय:-	पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				



1.	आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 15 मीटर में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2.	आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।
3.	आवेदक को राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PESO व अन्य संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जानी होगी।
4.	प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे।
5.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 25

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	झालामण्ड	776/1 एवं 776/1मीन	09.14.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती कुकीदेवी पत्नी श्री पारसराम, श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्री मदनलाल, श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी श्री जगदीश गर्ग				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 				



जोन पश्चिम

एजेण्डा संख्या 01

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	बुझावड	06, 459/18 व 18 सरकारी भूमि	16.06.00 बीघा	एकल भूखण्ड फार्म हाउस प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री मोहनराम पुत्र श्री उर्जराम, श्री लूणाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल व श्री थानाराम पुत्र श्री प्रभुराम जी				
विषय:-	फार्म हाउस योजना प्रयोजनाथ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में सरकारी भूमि को हटाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	नारनाडी	571	11.15.00 बीघा में से 03.19.12 बीघा	नॉन पॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री हनुमान हैण्डिक्राफ्ट प्रा.लि जरिये डायरेक्टर श्री अजय चौधरी पुत्र श्री भगवानसिंह चौधरी				
विषय:-	नॉन पॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनाथ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित योजना में से 80 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। 3. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ ओद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				



एजेन्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	बागा	824, 827/5	03.03.17 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह, श्री निखिल पुत्र श्री मंगल सिंह, श्रीमती आरती पुत्री श्री मंगलसिंह, श्रीमती सुनीता पत्नी श्री मंगलसिंह				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनाथ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 100 फीट रखा जावे। में प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु निर्धारित चौड़ाई बाबत् टिप्पणी अभियान्त्रिकी शाखा से प्राप्त की जावे। एवम् तदानुसार सड़क चौड़ाई रखते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। 2. आवेदित भूमि के प्रस्तुत योजना मानचित्र में अंकित 40 फीट सड़क को उक्त योजना के समीप पूर्व योजना के परिपेक्ष्य में जांच कर क्षेत्रफल विश्लेषण पुनः किया जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 				


एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	गेंवा	870	02.05.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री किशनाराम उर्फ किशन सिंह पुत्र श्री गोविन्दराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनाथ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 30 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग 40 फीट उपलब्ध होना संभव नहीं है। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2016 के अनुसार पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट मार्गाधिकार की स्वीकृति दी जाती है। 2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की भूमि से संबंधित वाद माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में विचारधीन है अतः उक्त मानचित्र अनुमोदन माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा। 				



	<p>3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</p> <p>4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</p> <p>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <p>7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।</p>
--	---

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


29/03/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)


जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/2142-2149

दिनांक:-29/03/2022

प्रतिलिपी :- निम्न को अंवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियंत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


29/03/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 09.02.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. डॉ इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लाडूराम विश्‍नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री अनिल पूनियाँ उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री नीरज मिश्र उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 7. श्री गणपत लाल सुधार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


29/03/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291 261206/2612062 / Fax 0291 2612006

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2022/

दिनांक : 09/05/2022

संशोधित आदेश

1	बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 23.03.2022 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या 13 आवेदक श्री हंसाराम पुत्र श्री दुकाराम, श्री अशोक मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा राजस्व ग्राम सौंढेर की ढाणों के खसरा संख्या 120, 120/4 रकबा 02.19.18 बीघा जोन पूर्व का एक ले-आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक के दिनांक 23.03.2022 को जारी बैठक कार्यवाही विवरण में टंकनीय त्रुटिवश फार्म हाउस एकल भूखण्ड के स्थान पर आवासीय एकल भूखण्ड अंकित हो गया। अतः भविष्य में दिनांक 23.03.2022 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण में आवासीय एकल भूखण्ड के स्थान पर फार्म हाउस एकल भूखण्ड पढा व समझा जावें एवं उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में सभी पत्र व्यवहार फार्म हाउस एकल भूखण्ड से किए जावें तथा कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2 को विलोपित मानते हुए तथा इस संशोधित आदेश को बैठक कार्यवाही विवरण का अंगशुमार माना जावें।
---	---

set

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2022/ 2541 - 2545

दिनांक : 09/05/2022

प्रतिलिपी :- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री राहुल सांखला को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।

09/05/2022

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर